



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ, 1942 (श०)

संख्या - 515 राँची, बुधवार,

10 जून, 2020 (ई०)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।

अधिसूचना

19 मई, 2020

संख्या-1/नीति-05-04/2020-711-- झारखंड उत्पाद अधिनियम, 1915 (झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) की धारा 89 की उपधारा 1 एवं उप धारा 3 के अधीनप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल, विभागीय अधिसूचना संख्या 2135 दिनांक 24.12.2018 द्वारा अधिसूचित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 439 दिनांक 02.03.2019 एवं 2462 दिनांक 04.10.2019 द्वारा संशोधित "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" में निम्नरूपेण संशोधन करते हैं -

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ -**

- (1) यह नियमावली "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) (संशोधन) नियमावली, 2020" कही जायेगी ।
- (2) यह अधिसूचना संपूर्ण झारखंड राज्य क्षेत्र में लागू होगा ।
- (3) यह नियमावली, अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. "झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018" यथासंशोधित, जो इसके पश्चात मूलनियमावली कही जायेगी, के नियम 2, 26 एवं 39 में संशोधन -

(1) मूल नियमावली के नियम 2 (xxxviii) के उपरांत नियम 2 (xxxix) निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है -

2 (xxxix) “विशेष उत्पाद कर- भारत निर्मित विदेशी मदिरा, विदेशों में निर्मित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन, ब्रीजर इत्यादि के अधिकतम खुदरा मूल्य को नियम 2 (xxx) के अनुरूप पूर्णांकित किये जाने के पूर्व अधिरोपित किये जाने वाला कर ।

(2) मूल नियमावली के नियम 26 (vi) के उपरांत एक नया नियम 26 (vii) निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है -

26 (vii) भारत निर्मित विदेशी मदिरा, विदेशों में निर्मित विदेशी मदिरा (मूल में बोतलबंद), बीयर, वाईन, ब्रीजर इत्यादि पर 10% की दर से विशेष उत्पाद कर अधिरोपित किया जायेगा। इसका भुगतान खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी द्वारा मदिरा की JSBCL डिपो से खरीदारी के समय किया जायेगा ।

(3) मूल नियमावली के नियम 39(2) के उपरांत नियम 39(3) निम्नरूपेण अंतःस्थापित किया जाता है -

39 (3) सामान्यतः दुकान पर आकर मदिरा की खरीददारी करने वाले ग्राहकों को मदिरा की बिक्री खुदरा उत्पाद दुकानों से नियम 39 (1) में वर्णित अधिकतम सीमा के अनुरूप की जायेगी। विशेष परिस्थिति में आयुक्त उत्पाद खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन होम डिलीवरी करने वाले पेशेवर संस्थानों (Professional Organisation) के माध्यम से मदिरा की ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति दे सकेंगे। मदिरा की ऑनलाइन डिलीवरी हेतु विभाग द्वारा अधिकृत ऐसे पेशेवर संस्थानों के साथ खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी करार (Agreement) करेंगे। ऑनलाइन होम डिलीवरी ग्राहकों की भौतिक अवस्थिति के अनुसार यथासंभव सबसे नजदीक दुकान से किया जायेगा। होम डिलीवरी में आने वाले अतिरिक्त खर्च का वहन उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा। होम डिलीवरी हेतु मदिरा की बिक्री की अधिकतम सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है:-

i.	भारत निर्मित विदेशी शराब/आयातित विदेशी शराब (मूल में बोतलबंद)	-	3 लीटर
ii.	बीयर, वाईन, ब्रीजर/LAB इत्यादि	-	5.2 लीटर
iii.	देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब	-	3.6 लीटर

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद ।
